

**अचल सम्पत्ति नीलामी इश्तहार:-**  
(जे0एच0वी0, सुगर मिल्स लिमिटेड पडरौना, कुशीनगर की नीलामी विषयक)

सर्वधारण को सुचित, किया जाता है कि बाकीदार जे0एच0वी0 सुगर मिल्स लिमिटेड (पूर्व नाम कानपुर सुगर वर्क्स लि0 पडरौना) की कुर्कशुदा चल, अचल सम्पत्ति जिसका विवरण निम्नवत् है, कि सार्वजनिक बोली के माध्यम से नीलामी की जानी नियत है। इच्छुक क्रेता नीलामी के पूर्व किसी भी कार्य दिवस में उपजिलाधिकारी/तहसीलदार /नायब तहसीलदार/नीलामी अधिकारी से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसका संक्षिप्त विवरण एवं शर्तें निम्नवत् है:-

बकाया धनराशि—मु0 378.11, 4297.81 लाख रूपया व मु0 9391203/-रु0+अन्य

1.चल सम्पत्ति का मूल्यांकन:- मु0 4582.07 लाख रु0 । नीलामी की तिथि दिनांक- 14.08.2017

2.अचल सम्पत्ति:-

क्र0 सं0	गाटा संख्या	क्ष0(हे0 में)	न्यूनतम बोली (रु0)	अग्रिम जमानत की राशि	नीलामी तिथि	समय	स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8
1	448	0.0730	3504000.00	50000.00	14.08.2017	10.00 बजे सुबह से अपरान्ह 02:00 बजे तक	तहसील परिसर पडरौना, जनपद-कुशीनगर।
2	509 का शेष रकबा	0.223	1301360.00	50000.00			
3	511खपू का शेष रकबा	0.167	967720.00	50000.00			
4	512	0.0690	3312000.00	50000.00			
5	700	0.138	3910000.00	50000.00			
6	537खपू.	0.0770	3696000.00	50000.00			
7	1001खप.	1.4610	70128000.00	50000.00			
8	1002खपू.	0.2230	10704000.00	50000.00			
9	1005खपू.	0.8690	41712000.00	50000.00			
10	215खपू.	1.460	9052000.00	50000.00			
11	216खपू.	0.0490	2352000.00	50000.00			

- यह कि नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों/फर्मों को अपने पहचान-पत्र, पैनकार्ड इत्यादि सहित सभी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
- यह कि नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म को अग्रिम जमानत राशि उपरोक्तानुसार जमा करना होगा तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सम्बन्धित व्यक्ति /फर्म पागल, दिवालिया या आपराधिक पूर्वति का नहीं है तथा सभी अस्त-शस्त्र पूर्ण रूपेण वर्जित रहेंगे।
- यह कि नीलामी में सबसे ऊंची धनराशी की बोली बोलने वाले व्यक्ति/फर्म को नीलामी धनराशि का 1/4 तत्काल जमा करना होगा तथा, 15दिन के अन्दर शेष अर्थात 3/4 धनराशि जमा करना होगा। ऐसा न करने की स्थिति में सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म द्वारा अग्रिम जमानत के रूप में जमा की गई 1/4 धनराशि को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया जायेगा।
- यह कि नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म सबसे ऊंची बोली बोलने के पश्चात् यदि नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने से मुकर जाता है तो, उसके द्वारा जमा की गयी जमानत राशि को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करते हुए पुनः नये सिरे से नीलामी की कार्यवाही की जायेगी।
- यह कि नीलामी की समस्त कार्यवाही/स्वीकृती के सर्वाधिकार जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी महोदय के पास सुरक्षित होगा तथा अन्तिम निर्णय जिलाधिकारी महोदय द्वारा लिया जायेगा।
- नीलामी लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति एक दिन पूर्व अपना नाम, व पता व परिचय पत्र कार्यालय मे जमा कर दे।

उपजिलाधिकारी  
पडरौना।

**कार्यालय उप जिलाधिकारी, पडरौना।**

संख्या- 13460/संग्रह-17

दिनांक 13 जुलाई 2017

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- जिलाधिकारी महोदय, कुशीनगर।
- पुलिस अधीक्षक महोदय, कुशीनगर।
- मुख्य विकास अधिकारी महोदय, कुशीनगर।
- अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) महोदय, कुशीनगर।
- मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय, कुशीनगर।
- जिला गन्ना अधिकारी महोदय, कुशीनगर।
- जिला सूचना अधिकारी महोदय, कुशीनगर।
- समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार जनपद कुशीनगर।
- समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद कुशीनगर।
- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, जनपद कुशीनगर।
- संपादन/संवाददाता, दैनिक जागरण, हिन्दूस्तान, राष्ट्रीय सहारा, को इस आशय के साथ प्रेषित के अपने अगले अंक मे इसे प्रकाशित करावें, एवं भुगतान हेतु उसकी एक प्रति उपलब्ध करावें।
- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी कुशीनगर को इस आशय के साथ प्रेषित कि जनपद के वेबसाईट पर इसे अपलोड करने का कष्ट करें।

उपजिलाधिकारी  
पडरौना।